

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7(64)शिक्षा-2/2019 जयपुर दिनांक 20.01.2020 द्वारा श्रीमती कान्ती बाई भीना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि निमैरा, सपोटरा, करौली का परीक्षाकाल में 90 दिवस से अधिक लिये गये 23 दिवस के असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1	31.10.2017 से 08.11.2017	09 दिन
	10.11.2017 से 23.11.2017	14 दिन
	कुल असाधारण अवकाश दिवस	23 दिवस

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.08.2019 द्वारा 90 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'वित्त (नियम) विभाग' के 'परिपत्र' दिनांक 11.06.2014 एवं संशोधित 'मैमोरेण्डम' के प्रावधानानुसार कार्मिक द्वारा बढी हुई परीक्षा अवधि में लिये गये अवकाशों के आधार पर नियमानुसार कुल (60+23) 83 दिवस की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।


यह निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित है।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/अवकाश/17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. रक्षित पत्रावली।

दिनांक:- 23 / 01 / 2020


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7(65)शिक्षा-2/2019 जयपुर दिनांक 20.01.2020 द्वारा श्रीमती कान्ता मीना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि बादनू, नोखा, बीकानेर का परिवीक्षाकाल में 90 दिवस से अधिक लिये गये 37 दिवस के असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1	18.11.2018 से 19.11.2018	02 दिन
	27.11.2018 से 03.12.2018	07 दिन
	11.12.2018 से 21.12.2018	11 दिन
	09.01.2019 से 25.01.2019	17 दिन
	कुल असाधारण अवकाश दिवस	37 दिवस

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.08.2019 द्वारा 90 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'वित्त (नियम) विभाग' के 'परिपत्र' दिनांक 11.06.2014 एवं संशोधित 'मैमोरेण्डम' के प्रावधानुसार कार्मिक द्वारा बढी हुई परिवीक्षा अवधि में लिये गये अवकाशों के आधार पर नियमानुसार कुल (60+37) 97 दिवस की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।

यह निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित है।




संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 23/01/2020

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/अवकाश/17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान; जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर